प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– गैरसैण विधान सभा परिसर पे०यो० निर्माण शाखा उ०प्र० पे० निगम रुद्रप्रयाग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम —————
तहसील गैरसैण, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैण विधान सभा परिसर परियोजना के निर्माण हेतु (0.37 हे0 आरक्षित वन भूमि, —— हे0 सिविल सोयम भूमि...... हे0, वन पंचायत भूमि 0.18 —— हे0) अर्थात कुल 0.55 हे0 वन भूमि का उ०पे० निगम रुद्रप्रयाग ——————विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सारकोट —— द्वारा दिनांक 25.3.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सारकोट —— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि हस्तान्तरण —— प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / –
ग्राम सचिव
(ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, वि.ख. - गैरसैण (चमोली))

ह0 / –
ग्राम प्रधान
(प्रधान ग्राम पंचायत सारकोट, वि0ख0 गैरसैण (चमोली))

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—23.1

दिनांक 25/3/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोविन्दसिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत सारकोट	[illegible]
2	विशनसिंह पूर्व उपप्रधान	विशनसिंह
3.	जुगमणी देवी	जुगमणी देवी

प्रधान ग्राम पंचायत सारकोट वि० ख० गैरसैंण (चमोली)

ह0/—
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :- निर्माण खाद्य उ0भ0निगम खाद्यान्न, गैरसैंण विधानसभा परिसर पे0मो0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैंण

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैंण

उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत गैरसैंण विधानसभा परिसर पे0मो0 है0 (—137—है0 आरक्षित वन भूमि, ✗ है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि .18 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.55 है0 वन भूमि) का हस्तान्तरण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैंण) की दिनांक 1/11/07 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के0एस0नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री के0एस0नेगी —उपजिलाधिकारी गैरसैंण ——————अध्यक्ष
2– श्री —————उप प्रभागीय वनाधिकारी————————सदस्य
3– श्री सुरेन्द्र लाल —सहायक समाज कल्याण अधिकारी———सदस्य / सचिव
4– श्री आनन्दराम ———बी0डी0सी0 क्षेत्र ————————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

गैरसैंण विधान सभा परिसर पे0मो0 ——परियोजना हेतु 0.55 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण अधि0 का निर्माण खाद्य उ0भ0निगम खाद्यान्न —— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, —————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किंया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैंण परिक्षेत्र के अन्तर्गत गैरसैंण विधान सभा चौरड़ पे.मो. परियोजना के निर्माण हेतु 0.55 हे0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

3/4/2015

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैंण
जनपद– चमोली

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण जिला–चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3/4/2015

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गैरसैंण
जनपद– चमोली

उप जिलाधिकारी
गैरसैंण जिला चमोली

सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं0 14 मरोड़ा
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं0 24 रोहिड़ा
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

शमेश्वरदत्त
सदस्य क्षेत्र पंचायत
वार्ड सं0 11 सिराणा
वि0ख0 गैरसैंण (चमोली)

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– गैरसैंण विधान सभा परिसर पे0जल0 निर्माण शाखा उ0 पे0 निगम रूद्रप्रयाग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–चमोली के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु 0.55 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति गैरसैंण तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0
जिलाधिकारी

नोट :– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।
सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किये जाने हैं। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा।

परियोजना रसैण विधान सभा परिसर पेयजल योजना.(भराडी सैण)
निर्माण शाखा उ० पे०निगम कर्णप्रयाग

धार्मिक / पौराणिक / ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

ह0 /	ह0 / –		ह0 / --
(प्रयोक्ता एजेन्सी)	प्रभागीय वनाधिकारी	राजस्व निरीक्षक	जिलाधिकारी
अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम			जिलाधिकारी चमोली

उ० प्र० व० अ० गौचर (गोपेश्वर)

वन क्षेत्राधिकारी लोहवा वनक्षेत्र गैरसैंण

29/3

उप जिलाधिकारी गैरसैंण